देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर

विश्वविद्यालय भवन,
इन्दौर 452001
दूरभाष 2523630

क्रमांक/प्रशासन/कोविड–19/2021/370 दिनांक 31 MAY 2021

प्रति,

समस्त विभागाध्यक्ष/निदेशक/समन्वयक/विभाग प्रमुख
देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर

विषय : कोरोना वायरस संक्रमण के रोकथाम एवं बचाव हेतु कार्यालयों में अधिकारी/कर्मचारियों की उपस्थिति के सम्बन्ध में दिशा निर्देश।

महोदय,

मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल के पत्र क्रमांक एफ–11–09/ 2020/1–9 भोपाल दिनांक 30.05.2021 के निर्देशानुसार देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, के समस्त कार्यालयों में दिनांक 01 जून 2021 से निम्नानुसार उपस्थिति सुनिश्चित की जावें :–

1. समस्त अधिकारियों की उपस्थिति 100 प्रतिशत रहेगी।
2. विभागों में कर्मचारियों की 50 प्रतिशत उपस्थिति संबंधित विभाग प्रमुख द्वारा निर्धारित रोस्टर अनुसार होगी।
3. संबंधित विभाग में अनुभाग अधिकारी की दैनिक उपस्थिति के संबंध में निर्णय विभाग प्रमुख द्वारा लिया जावेगा।
4. समस्त अधिकारी/कर्मचारी, जिला प्रशासन/राज्य शासन/केन्द्र सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये कोरोना संक्रमण रोकथाम संबंधी दिशा निर्देशों का अनिवार्यतः पालन सुनिश्चित करें। जैसे:– मास्क, सेनेटाइजर एवं सामाजिक दूरी का पालन।
5. समस्त विभागों में 45 वर्ष से अधिक एवं 18 - 45 आयु वर्ग के टीकाकरण हेतु शेष शिक्षकों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों की अद्यतन सूची प्रस्तुत की जावें।

आदेशानुसार

कुलसचिव

पृ.क्रमांक/प्रशासन/ कोविड–19./2021/370 दिनांक 31 MAY 2021

प्रतिलिपिः

1. प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश शासन भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. राज्यपाल मध्यप्रदेश के अपर सचिव, राजभवन भोपाल की ओर सूचनार्थ।
3. आयुक्त उच्च शिक्षा विभाग, संचालनालय, सतपुड़ा भवन भोपाल की ओर सूचनार्थ।
4. अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा इंदौर संभाग इंदौर की ओर सूचनार्थ।
5. वित्त नियंत्रक, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इन्दौर की ओर सूचनार्थ।
6. समस्त अधिकारीगण, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इन्दौर की ओर सूचनार्थ।
7. परीक्षा नियंत्रक, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इन्दौर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
8. कुलपति/कुलसचिव के निज सहायक की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
9. प्रभारी आई.टी. सेंटर, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु ।

सहायक कुलसचिव (प्रशासन)